न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 33/2024
जी.सी.एम.एस. : 2024/308

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
शैतान सिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तालका, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मारवाड जंक्शन

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/01/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 92/2023 सरकार बनाम शैतान सिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का खारड़ी ने अपीलाण्ट को ग्राम तालका के खसरा नम्बर 62 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म बजंड़ की भूमि पर अवैध रूप से पक्का मकान बना कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण संख्या 92/2023 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट को तामील नहीं हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.03.2024 को अपीलाण्ट को अनुपस्थित मानते हुए अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने बाबत् निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है। अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 62 पर करीब 30

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

वर्षो से अधिक समय से पक्का मकान बना हुआ है जिसमें अपीलाण्ट अपने परिवार सहित निवास करता है जिसके अलावा अपीलाण्ट के पास अन्य कोई मकान नहीं है। अपीलाण्ट अपने परिवार सहित इसी एकमात्र मकान में निवासरत है। जैर अपील का आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु आवेदन भी रेस्पोडेण्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिससे उक्त आराजी का विधिवत नियमन होना प्रमाणित होता है। जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 62 जो की गांव तालका में है जिसमे कई वर्षो से आबादी बसी हुई है, जिसकी किस्म गैर मुमकिन बंजर है जो प्रतिबंधित भूमि की किस्म मे नहीं आने से काबिल नियमन है एवं ग्राम पंचायत जाड़न द्वारा भी उक्त आराजी को आबादी भूमि हेतु आवंटन किये जाने बाबत प्रस्ताव जिला कलक्टर महोदय एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है लेकिन आदिनांक तक उक्त आराजी का नियमन नहीं हुआ है। राज्य सरकार के परिपत्रों दिनांक 07.09.2017, 15.09.2017, 03.10.2017 एवं 31.11.2017 के अनुसार भी उपरोक्त भूमि का सर्वे करवाकर आबादी में आवंटन कर अपीलाण्ट सहित काबिल व्यक्तियों को पट्टा दिया जाना उचित माना है। रेस्पोडेण्ट जैर अपील आदेश की आड़ में अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमदा है जो विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विरूद्व होने से काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किया है जिसकी किस्म गैर मुमकिन बंजड़ है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी खारडी ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 92/2023 सरकार बनाम शैतानसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का खारड़ी ने मौजा तालका खसरा नम्बर 62 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बंजड़ भूमि पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण किये जाने बाबत् टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये। 91 एल.आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट शैतानसिंह पुत्र

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर पाली (राज.)

अर्जुनसिंह जाति पुरोहित निवासी तालका को दिनांक 14.02.2024 को जारी किया गया, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है साथ ही नोटिस में उल्लेखित किया कि 'आप दिनांक 04.03.2024 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लिडर द्वारा दिनांक 04.03.2024 को तहसील कार्यालय मारवाड़ जंक्शन में 10.00 पूर्वान्ह हाजिर होवे तथा यह हैतुक दर्शित करे कि आपको यहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।' परन्तु उक्त नोटिस अपीलाण्ट के भाई के द्वारा तामील सुदा है। जिससे स्पष्ट है कि 91 एल.आर.एक्ट. का नोटिस निर्धारित प्रारूप में विधिनुसार, विधिवत तरीके से जारी किया गया तथा अप्रार्थी को जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अप्रार्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया, तदुपरान्त आगामी तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि सम्मत है।

इसके अतिरिक्त ग्राम तालका तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 62 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बंजड़ की भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय खाते में दर्ज है तथा मातहत न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निर्णय दिनांक 04.03.2024 के द्वारा अपीलाण्ट शैतानसिंह को खसरा नम्बर 62 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी पर अवैध कब्जा करने पर बतौर लगान शास्ति के वार्षिक लगान का 50 गुणा अनुसार 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जिसे नकारने का अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नहीं किया है। जैर अपील आराजी की किस्म गै.मु.बंजड़ है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 92/2023 सरकार बनाम शैतानसिंह में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)